



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1944 (श10)
(सं0 पटना 98) पटना, मंगलवार, 31 जनवरी 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश
31 जनवरी 2023

सं० 3/एम0-54/2015 सा0प्र0/2150—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत गृह विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित पदों को उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.15 की अनुसूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया जाता है कि इन पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन मात्र एक वर्ष के लिए ही किया जायेगा—

क्र०सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।
1.	गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय)	बिहार अभियोजन सेवा के— (i) सहायक अभियोजन पदाधिकारी (ii) अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी/अपर लोक अभियोजक (iii) अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी, से.ग्रे./अपर लोक अभियोजक, से.ग्रे. (iv) जिला अभियोजन पदाधिकारी/समकक्ष

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक— 10000 दिनांक— 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इस पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
एम0 एस0 अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 98-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>